तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20.11.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। न्याय० मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक होने से पुनः मजिद बहस सुनी गई पत्रावली वादीया का वाद सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

लय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

संख्या:– 15 / 2019

श्रीमती कंचनदेवी पत्नी मदनलाल जाति रेगर निवासी गुणता तह0 बेगूँ
वादीया

बनाम

1. भवानीलाल पिता भंवरलाल टीकडिया (राजपूत) निवासी पानी की टंकी के पास नीलकण्ठ रोड, बेंगूँ तह0 बेगूँ
2. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहव बेगूँ तहसील बेगूँ
3. श्रीमान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधी जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादीया
श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता प्रतिवादी.1

निर्णय दिनांक :– 20.11.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वाद पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम गुणता पटवार मण्डल जयनगर में वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजीयात स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
05	320 / 1	0.0500
	322	0.1600
	564 / 320	0.0940
	565 / 321	0.0680
	566 / 320	0.1000
	567 / 321	0.0600
	593 / 321	0.0300
	596 / 321	0.2800
	कीता–2 रकबा	0.8420 हैक्टर

यह कि वादीया के ग्राम गुणता की उक्त आराजी के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 325 का प्राकृतिक नाला है इस नाला के पूर्व दिशा तरफ ग्राम पालना का रामनगर पटवार मंडल जयनगर का मौजा लगता है तथा वहा प्रतिवादी भवानीलाल पिता भंवरलाल की आराजीयात स्थित है जिसके खसरा नम्बर 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55 कीता–7 कुल रकबा 2.800 हैक्टर है।

यह कि प्रतिवादी ने अपनी आराजीयात के पश्चिम दिशा में स्थित बरसाती पानी के प्राकृतिक नाला को मिट्टी व कंकरीट डाल कर दिनांक 20.06.2018 को भर दिया व उसके प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन कर नाले को वादीया की भूमि खसरा नंबर 321 व 322 की तरफ खिसका दिया है जो कानूनन गलत है। वादीया ने 20.6.2018 को प्रतिवादी को बरसाती प्राकृतिक नाला खसरा नंबर 325 को मिट्टी या कंकरीट (झींकरा) से भरने या उसके प्राकृतिक बहाव एवं स्वरूप को बदलने से मना किया व रोका तो आपने न्यायालय में आकर के वादीया व उसके परिवार के विरूद्ध झुठा केस धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश कर दिया जबकि प्रतिवादी वादीया की आराजीयात को हडपना व कब्जा करना चाहता है इसी मंशा से प्रतिवादी ने प्राकृतिक नाला के स्वरूप को बिगाड एवं नष्ट किया है।

यह कि वादीया ने श्री भूमिधारी बेगूँ के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि प्रतिवादी भुवानीलाल को प्राकृतिक नाला के स्वरूप को बदलने, पानी के बहाव को रोकने या नाला को भरने से रोका जावे पाबन्द किया जावे लकिन श्री भूमिधारी ने भी कोई जवाब नही दिया है इसलिए वादीया को यह वादपत्र बाबत आदेशात्मक व्यादेश के लिए लाया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा यदि खसरा नंबर 325 में स्थित मौजा गुणता के प्राकृतिक नाले के स्वरूप को बदला है व बहा को रोका है जो गैर कानूनी है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...दुल रहमान प्रकरण की मंशा के विरूद्ध है इसलिए प्राकृतिक नाले को पुनः पूर्व स्थिति में लाया ...र उसमे से वापिस डाली गई मिट्टी को निकाला जाकर उसके मूल स्थान व मूल स्वरूप में ...स लाया जाना आवश्यक है, अन्यथा इससे वादीया को भारी आर्थिक नुकसान होगा बरसात का भरत पानी वादीया की फसल व खेत को नष्ट करने से वादीया अपनी कृषि भूमि से अनाज उत्पादन नहीं कर सकेगी व भारी वार्षिक नुकसान होगा जिसकी अर्थ में पूर्ति कदापि संभव नहीं है, इसलिए आदेशात्मक व्यादेश हेतु यह वादपत्र पेश है।

यह कि वाद कारण दिनांक 20.06.2018 को प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा खसरा नंबर 325 जो कि प्राकृतिक बरसाती नाला है को मिट्टी व झींकरा डालकर भर देने एवं उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देने एवं बहाव रोक देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं। यह कि प्रतिवादी सं0 2 व 3 भूमिधारी जी तहसीलदार साहब एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महादेय राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है।

अतः श्रीमान से वादीया की प्रार्थना है कि पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार की डिकी प्रदान फरमाई जावे :—

(क) कि ग्राम गुणता पटवार मण्डल जयनगर में वादीया की आराजी के पूर्व दिशा में स्थित आराजी नम्बर 325 प्राकृतिक नाला है के प्राकृतिक स्वरूप में प्रतिवादी सं0 1 किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें एवं न ही उसको मिट्टी झींकरा आदि से भर कर पानी के वहाव को रोके इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

(ख) कि यदि दौराने वाद प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्राकृतिक नाले के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है एवं पानी के वहाव को रोक दिया जाता है एवं मिट्टी झींकरा से भराव कर दिया जाता है तो पुनः प्रतिवादी के खर्चे से उसे उसके प्राकृतिक स्वरूप में लाने की आदेशात्मक आज्ञप्ति पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादी प्रदान फरमाई जावें।

(ग) वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी मुझ वादीया को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीया हो प्रतिवादी के विरूद्ध प्रदान कराया जावे।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से दावा पत्रावली में अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार बिल्लू द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया व जवाब दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया :—

यह कि कलम सं0 एक का जवाब रेवेन्यु रेकार्ड देखकर दिया जा सकता है।

यह कि कलम नं0 2 में मुझ प्रतिवादी भवानीलाल की जमीन ग्राम पालना का रामनगर में होना स्वीकार है। खसरा नं0 325 प्राकृतिक नाला नहीं होकर छोटा धोरा है।

यह कि कलम नं0 3 गलत होकर अस्वीकार है। दिनांक 20.06.2018 को मैने इसी बरसाती नाले को बंद नहीं कया है वरन कंचनबाई उसके पति मदनलाल देवर मुकेश एवं अशोक ने दिनांक 25.06.2018 को एक राय होकर मेरी खातेदारी भूमि में बदनियतीपूर्वक अनाधिकार रूप से घुसकर मेरी खातेदारी भूमि में जे.सी.बी. मशीन से स्थाई रूप से खडे हुए पत्थर के पचास पोल गिराकर नष्ट कर दिये। साथ ही पत्थर की कोट लगभग 250फिट एवं उसमें बंधे तार तोडकर पत्थरो को गिराकर सरडा दिये जिससे मुझ भवानी लाल को पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बेगूँ में दी गई। उक्त कार्यवाही से बचने के लिए वादीया ने यह गलत वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया है। दिनांक 20.06.2018 को मेरी वादिया से कोई बातचीत नहीं हुई है। धोरा जहा पहले स्थित था आज भी वहीं पर स्थित है। वादीया ने असत्य कथन अपने वादपत्र में अंकित किये है। यह कि कलम नं0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं।

यह कि कलम नं0 5 गलत होकर अस्वीकार है। वादिया ने विधिक विरूद्ध कार्यवाही कर कानून अपने हाथ में लेकर क्रिमिनल अपराध किया है, अब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सहारा लेकर अपना बचाव करना चाहती है। धोरा पहले जहा मौजूद था आज भी वहीं मौजूद है। उल्टे वादिया मुझ वादी के खतोदारी की कृषि आराजीयात में दखलंदाजी एवं नुकसान कर मुझे परेशान कर रही है। वादिया को किसी प्रकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वादिया अपनी कृषि में लगातार अनाज उत्पादन कर रही है।

यह कि दिनांक 20.05.2018 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। कलम नं0 7, 8, 9 कानूनी है। कलम नं0 10 गलत होकर अस्वीकार है। वादिया ने गलत वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादिया किसी भी प्रकार की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादिया का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

विशेष कथन

यह कि मुझ प्रतिवादी द्वारा वादिया कंचनबाई उसके पति मदनलाल देवर मुकेश अशोक के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय में धारा 188 राज0टी0एउक्ट कार वादपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बचाव मे वादिया द्वारा यह गलत वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पश्चातवर्ती सोच से प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

दावा पत्रावली में प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से भूमिधारी उपस्थित आये। पत्रावली में वादी सं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र पत्रावली में कायम किया जाकर मिल पत्रावली किया गया :–

1– आया कि मौजा गुणता पटवार मण्डल जयनगर में वादीया की आराजी के पूर्व दिशा में स्थित आराजी नम्बर 325 प्राकृतिक नाला है के प्राकृतिक स्वरूप में प्रतिवादी सं0 1 किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें एवं न ही उसको मिट्टी झींकरा आदि से भर कर पानी के बहाव को रोके इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने की अधिकारी है ? साथ ही प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्राकृतिक नाले के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है एवं पानी के बहाव को रोक दिया जाता है एवं मिट्टी झींकरा से भराव कर दिया जाता है तो पुनः प्रतिवादी के खर्च से उसे उसके प्राकृतिक स्वरूप में जाये जाने का आदेश प्राप्त कर पाने की वादिया अधिकारी है?

.....जिम्मे वादीया

2– आया कि मुझ मुझ प्रतिवादी द्वारा वादिया कंचनवाई उसके पति मदनलाल देवर मुकेश अशोक के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय में धारा 188 राज0टी0एक्ट कार वादपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उसके बचाव मे वादिया द्वारा यह गलत वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पश्चातवर्ती सोच से प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया जाने योग्य है? .....जिम्मे प्रतिवादी सं.1

3– दादरसी ?

दावा पत्रावली में तनकी पत्र शामिल पत्रावली किये जाने के पश्चात वादीया की ओर से साक्ष्य वादीया हेतु साक्ष्य शपथ वादीया कंचनबाई पति मदनलाल का प्रस्तुत किया गया, जिन्होने मुख्य परीक्षण में दावा पत्रावली में प्रस्ततु दस्तावेज को प्रदर्श कराया तथा जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी में वादीया ने कहा कि मेरी भवानीलाल के आज दिवस तक खेत पर किसी प्रकार की कोई बोलचाल नहीं हुई है। यह कहना सही है कि मदनलाल देवर मुकेश और अशोक ने दिनांक 25.06.2018 को प्रतिवादी भंवानीलाल जी की कृषि भूमि मे जो पत्थर के पोल खडे थे उनको अनाधिकृत रूप से जैसीवी द्वारा गिरा कर तोड दिये थे जिसकी रिपोर्ट भवानीलाल जी ने थाना बेगूँ में दी थी और इन तीनो ने न्यायालय श्रीमान एस डी एम साहब के यहा जमानत करवायी थी। स्वयं ने जिरह में कहा है कि हमारे धोरे की राड है। साक्ष्य वादी पूर्ण होने से बद की गई।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी के द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र उन्हें कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी की बंद किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। इस प्रकार दावा पत्रावली में वादीया की ओर से एक मात्र साक्ष्य वादीया की होकर अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होकर साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात दावा पत्रावली पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस को वाद पत्र. के अनुसार करते हुए ही निवेदन किया है कि वाद वर्णित वादीया की कृषि आराजीयात ग्राम गुणता की आराजी किता 8 कुल रकबा 0.8420 हैक्टर भूमि के पास में स्थित नाला आराजी संख्या 325 पर प्रतिवादी ने मिट्टी व झींकरा डालक उसे बंद किया व उसके स्वरूप को बदल दिये जाने से नाले का बरसाती पानी मुझ वादीया के खेत में आने से फसल खराब होती है, अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि बहस में बताया गया नाला नाला नहीं होकर धोरा है। साथ ही प्रतिवादी भवानीलाल विगत 8 वर्षो से बीमार है, वादीया द्वारा यह वादपत्र झूंठा प्रस्तुत किया है, वादीया के पति व उनके देवर द्वारा मुझ प्रतिवादी की कृषि आराजीयात पर खडे पत्थर के पोल को गिरा दिया जिसके कारण उनके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा थाना बेगूँ में कार्यवाही कर उन्हें पाबंद कराया तथा एक वाद पत्र भी इनके विरूद्ध पाबंदी का प्रस्तुत किया गया, जिससे रूष्ट होकर वादीया ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। वादीया ने अपने बयानो में स्वय कहा है कि प्रतिवादी से कोई वार्ता नहीं हुई है। वादीया की ओर से कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं है जिससे साक्ष्य अभाव में वादीया का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय प्रस्तुत सभी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए उनके गुणावगुण के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया का है। वादीया द्वारा अपने दावा पत्रावली में नकल जमाबंदी मोजा गुणता प0ह0 जयनगर की संवत 2071 से 74 की पेश की है जो कि प्रदर्श–2 है। जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 320/1, 322, 564/320, 565/321, 566/320, 567/321, 593/321, 596/321 कीता–8 कुल रकबा 0.8420 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कंचनदेवी पत्नी मदनलाल रेगर सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–3 नकल आराजी का नक्शाट्रेस की प्रति है। प्रदर्श–1 मुख्य परीक्षयण की साक्ष्य में वादीनी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वर्णित कृषि भूमि ग्राम

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

में स्थित है तथा वादपत्र अनुसार प्रतिवादी भवानीलाल की कृषि भूमि ग्राम पालना का नगर में स्थित हैं। वादीया उनकी कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में स्थित बरसाती नाले के लिए तिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करवानी चाहती है, प्राकृति नाला जिसके आराजी ख्या 325 होना अंकित किया है किन्तु कोई दस्तावेजी यथा जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है, नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 325 अंकित है, प्रतिवादी द्वारा किस प्रकार से उक्त नाले के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है इस सम्बन्ध में अन्य किसी भी व्यक्ति की साक्ष्य को वादीया ने इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है यानि स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किये गये है, साथ ही वादीया अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को दखलंदाजी करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए वाद ला सकती है, प्राकृतिक नाले के सम्बन्ध में किस आधार पर वाद प्रस्तुत कर सकती है, वाद पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है, वादीया का कथन है कि प्रतिवादी की कृषि भूमि उनकी कृषि आराजी से लगती है, या पास में स्थित है तो उसके सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज यथा जमाबंदी की नकल या नक्शाट्रेस भी प्रस्तुत नहीं किया है। बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि नाला नहीं होकर एक धोरा है, तो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज तो प्रस्तुत होना ही चाहिए था कि वास्तविकता में आराजी संख्या 325 क्या है? नाला अथवा धोरा है। वादीया ने अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी व प्रतिवादी की कोई बात कृषि आराजी पर नहीं हुई है, तो वाद कारण किस प्रकार उत्पन्न होता है स्पष्ट नहीं है। जैसा कि न्यायालय सामने यह तथ्य लाया गया है कि प्रतिवादी द्वारा वादीया के पति व उनके देवर के विरूद्ध प्रतिवादी की कृषि भूमि के पत्थर के पोल को तोडने के कारण थाना अधिकारी बेगूँ के यहॉ दफा 107, 151 सीआरपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कराया जिससे उन्हे इसी न्यायालय द्वारा पाबंद भी किया गया है, साथ ही प्रतिवादी द्वारा भी इस न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है जिससे बचने के लिए वादीया ने यह वादपत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार वादीया प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर तनकी नं0 1 को अपने पक्ष में निर्णित करा पाने में पूर्णतया असफल रही है। अतः तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है।

2— <u>तनकी नं0 2 का निर्णय</u> :—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी का है, प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब मे यह कथन किया है कि वादीया कंचनबाई उसके पति मदनलाल देवर मुकेश अशोक के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय मे धारा 188 रा0का0अधि0 का वादपत्र प्रस्तुत कर दिया उसके बचाव में वादीया द्वारा यह गलत वादपत्र न्यायलाय मे पश्चातवर्ती सोच से प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रतिवादी की ओर से इस दावा पत्रावली में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये है किन्तु तनकी नम्बर 1 जो कि वादीया के जिम्मे की तनकी थी उसे वादीया साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रही है। जैसा कि वादीया ने अपने बयानो में स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पति व उनके देवरो को इस न्यायलय द्वारा पाबंद किया गया है, एवं वाद प्रतिवादी द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह तनकी बहक प्रतिवादी सं.1 विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की तनकी में वादीया अपने जिम्मे की तनकी को जरिये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहने से वादीया का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

संख्याः— 15 / 2019

श्रीमती कंचनदेवी पत्नी मदनलाल जाति रेगर निवासी गुणता तह0 वेगूँ
वादीया

वनाम

1. भवानीलाल पिता भंवरलाल टीकडिया (राजपूत) निवासी पानी की टंकी के पास नीलकण्ठ रोड, वेंगूँ तह0 वेगूँ
2. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहव वेगूँ तहसील वेगूँ
3. श्रीमान राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधी जिला कलेक्टर महोदय, चितौडगढ
प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 188 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सिद्धान्त विल्लू की उपस्थिती में वाद अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर निम्नानुसार अंकित डिक्री किया जाता हैः—

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सवूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूँ